कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

सहकारिता प्रभाग (माँग संख्या–09)

वित्तीय वर्ष 2023–24 का योजना आलेख

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
सहकारिता प्रभाग

सहकारिता जन सहयोग पर आधारित एक जन–आन्दोलन है। यह पारस्परिक सहयोग एवं संसाधनों के समुच्चयीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। वर्तमान सरकार के ''अबुआ राज'' के लक्ष्य की प्राप्ति में सहकारिता प्रभाग की भूमिका अहम है।
निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता प्रभाग अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अग्रसर है:

- पारस्परिक सहयोग से राज्य का सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नयन।
- रोजगार व सतत् आय के अवसरों का निर्माण।
- सहकारी समितियों के विकास हेतु सम्यक् नीति निर्धारण।
- सहकारी समितियों में प्रबंधन को प्रोत्साहन
- दक्षता व आधारभूत संरचना का विकास।
- सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता व अन्य।
- **कुल लैम्पसः– 2028**
- **कुल पैक्सः– 2384**
- **व्यापार मंडल :– 77**
- **विशेष प्रकार की सहकारी समितियाँः– 9000**
- **राज्य में लैम्पस/पैक्स के सदस्य कृषकों की संख्याः– 14,08,289**

2023–24 के लिये विभागीय योजनाएँः संक्षिप्त परिचय

1. झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना :–

झारखंड राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना का प्रारम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में क्षति होने की स्थिति में फसलों की क्षति का आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में झारखण्ड राज्य किसान राहत कोष हेतु 5000.00 लाख **(पचास करोड़)** रू0 का स्वीकृति एवं आवंटन के उपरांत 2500.00 लाख (**पचीस करोड़)** रू0 मात्र का Corpus Fund Create किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना के लिए 2500.00 लाख (**पचीस करोड़) रू0** मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

2. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः–**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में वर्ष 2018 एवं 2019 के लंबित प्रीमियम अनुदान के भुगतान हेतु मो0 36300.00 लाख (तीन सौ तिरसठ) करोड़ रू0 मात्र का बजटीय उपबंध द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस हेतु मो0 5000.00 लाख रू0(**पचास करोड़)** मात्र का उपबंध प्रस्तावित है।

3. सूचना–प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार, कृषि चौपाल तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान :–

सहकारिता प्रक्षेत्र अन्तर्गत राँची एवं देवघर में सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है जिनमें सहकारिता प्रभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के साथ–साथ सहकारी समितियों के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सूचना–प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार, कृषि चौपाल तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु **300.00 लाख (तीन करोड़) रू0** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

4. अनुदान (फेडरेशन के आधारभूत संरचना विकास हेतु अनुदान)–

राज्य में वेजफेड, झास्कोलैम्पफ, झाम्कोफेड, झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक, झास्कोफिश एवं सिद्धो – कान्हो सहकारी संघ लि0 कार्यरत् हैं, जो अपने–अपने प्रक्षेत्र में सहकारिता के प्रसार हेतु क्रियाशील हैं एवं इन शीर्ष सहकारी संस्थानों के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकार के स्तर से अनुदान दिया जाता है। इन संस्थाओं के माध्यम से कार्यालय से प्रस्तावित योजनायें निम्न प्रकार हैः–

4.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में झाम्फकोफेड की प्रस्तावित योजनाएँ

a) **Sustainable Harvesting of Minor Forest Produce by Modern Tools and technique,**
b) **Maintenance of Existing Bamboo Cultivation and New crop cultivation for FRA,VDVK,PVTG Beneficiary's Livelihood,**
c) **Modernization of MFP Primary Procurement Centers,**
d) **Furniture and Fixture for Existing C-PARC at Simaliya, Ranchi,**
e) **Establishment of Central Processing and Research Centre (C-PARC) in Santhal Pargana,**
f) **MFP Mart in 5 Commissionaires,**
g) **Working Capital for C-PARC at Simaliya Ranchi, etc.**

4.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभागीय अनुदान योजनान्तर्गत वेजफेड अन्तर्गत प्रस्तावित योजना–

a) सब्जी विपणन हेतु रिटेल आउटलेट का निर्माण/अधिष्ठापन,
b) सौर उर्जा संचालित डीप बोरिंग (सोलर पैनल एवं पम्प रूम सहित),
c) खाद्य तेल प्रसंस्करण इकाई अधिष्ठापन,
d) ड्राई मसाला प्रसंस्करण इकाई,
e) **05 MT** सोलर कोल्ड रूम–सह–सोलर पम्प एवं बोरिंग,
f) वेजफेड से सम्बद्ध सहकारी समितियों को कार्यशील पूँजी,
g) सब्जियों के प्री–फैब्रीकेटेड पैकेजिंग–सह–सेल्फ युक्त भण्डारण इकाई,
h) जैविक उर्वरक उत्पादन–सह–उपयोग योजना, आदि।

4.3 झारखण्ड राज्य सहकारी लाह क्रय विक्रय एवं आहरण संघ सीमित (झास्कोलैम्पफ), राँची अन्तर्गत प्रस्तावित योजना–

I. Bhagwan Birsa Munda Lac Value Addition research & Training Centre, Sidrol Namkum Ranchi,
II. Training Programme,
III. Intercropping model for Lac Plantation and Cultivation (Kusum , Ber&Semialata),
IV. Share Capital,
V. Working Capital / Grant in Aid to JASCOLAMPF,
VI. Working Capital / Grant in Aid to Primary Societies involved in Value addition and business activities,
VII. Advertisement & Publicity / Promotion of Lac and other handicrafts & Handlooms through KUSUM Emporium,
VIII. Project evaluation & assessment cost for FY 2022-23, etc.

4.4 सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि०, राँची, झारखण्ड अन्तर्गत प्रस्तावित योजना–

a. Awareness programme,
b. Production enhancement of Agri & Medicinal Plants, NTFP including Lac, etc,
c. Procurement of different commodity (Revolving Fund),
d. Integrated processing & value-addition, Packaging, Branding etc. at primary level (LAMPS/PACS),
e. Exposure visit / Study tour,
f. Input support, Promotion, Advertisement & Publicity. (Backward & Forward linkage),
g. Seminar / Workshop (At block, district & state level),
h. Office set up and Infrastructure development at Sidho- Kanho Agriculture & Forest Produce State Co-operative Federation Ltd at Ranchi (SAMETI BHAWAN),
i. Computerization, MIS development, Office set up at Sidho- Kanho Agriculture & Forest Produce District Co-operative Federation Ltd.,
j. Research & development,
k. Expenditure on PMU, etc.

4.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए झास्कोफिश एवं इसके साथ संबद्ध मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु प्रस्तावित योजना

A. मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए आधारभूत संरचना विकास,
B. राज्य स्तरीय सहकारी संघ (झास्कोफिश) के आधारभूत संरचना विकास, आदि।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदान (फेडरेशन के आधारभूत संरचना विकास हेतु अनुदान) हेतु **11000. 00 लाख (एक सौ दस करोड़) रूपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

5. सहकारी समितियों, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए अनुदान (लैम्पस–पैक्स को छोड़कर)।

सहकारी समितियों, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं कम्प्यूटरीकरण कर इनकी कार्य प्रणाली में डिजीटाईजेशन को बढ़ावा देते हुए एकरूपता लाना एवं इनके माध्यम से विशेषकर ग्रामीण कृषकों तक सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार करने की सहकारिता प्रभाग की योजना है। उल्लेखनीय है कि पैक्स कम्प्यूटरीकरण का कार्य केन्द्र प्रायोजित योजना के द्वारा किया जा रहा है।

अतएव (लैम्पस–पैक्स को छोड़कर) सहकारी समितियों, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में **500.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है ।

6. सहकारिता प्रभाग अन्तर्गत मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सहकारी बैंक, शीर्ष एवं अन्य सहकारी समितियों के आधारभूत संरचना विकास हेतु पूंजीगत परिव्यय।

(क) मुख्यालय, अधिकरण एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये आधारभूत संरचना एवं मरम्मति :–

सहकारिता प्रभाग अंतर्गत कार्यरत् विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय भवनों की स्थिति जर्जर है एवं मरम्मति के साथ–साथ दैनिक कार्यों के सुचारू रूप से संपादन हेतु आधारभूत सरंचना भी आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यालय, अधिकरण एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये आधारभूत संरचना एवं मरम्मति हेतु **500.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

ख) सहकारिता प्रशिक्षण का केन्द्र, मौजा–फूदी, खूँटी में निर्मित भवनों के रखरखाव एवं चलाने हेतु व्ययः–

मौजा–फूदी, खूँटी में नवनिर्मित सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र के भवन में वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ किया जाना है। अतः नवनिमिर्त भवन के रख–रखाव एवं यथाशीघ्र संचालन हेतु बजटीय उपबंध आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में इस योजना हेतु 50.00 लाख (पचास लाख) रूपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(ग) प्रखण्ड में कृषि कार्य कर रहे नोडल लैम्पस/पैक्स/व्यापारमंडल को कार्यशील पूँजी, आधारभूत संरचना एवं मरम्मति :–

नोडल लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से किसानों को खाद–बीज, कीट नाशक दवा, धान अधिप्राप्ति इत्यादि का कार्य कराया जाता है। उनके द्वारा National Seed Corporation (NSC) एवं बीज ग्राम के माध्यम से बीज प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए 50 प्रतिशत अग्रिम राशि का ड्राफ्ट NSC को उपलब्ध कराना पडता है। अतएव प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर एक नोडल लैम्पस/पैक्स/व्यापारमंडल जिसके द्वारा प्रति वर्ष खाद, बीज संबंधित कम्पनियों को भुगतान कर उसका उठाव करती है, उसके पश्चात प्रखण्डों के अन्य लैम्पसों को वितरित किया जाता है, जिसमें उसे लगभग 8 से 10 लाख रूपये की आवश्यकता पड़ती है।

अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रखण्ड में कृषि कार्य कर रहे नोडल लैम्पस/पैक्स/व्यापारमंडल को कार्यशील पूँजी, आधारभूत संरचना एवं मरम्मति योजना के लिए **500.00 लाख (पाँच करोड़) रूपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(घ) विशेष प्रकार की सहकारी समिति को कार्यशील पूँजी, आधारभूत संरचना एवं मरम्मति :–

सहकारिता अधिनियमों अन्तर्गत निबंधित विशेष प्रकार की सहकारी समितियों द्वारा सहकारिता प्रक्षेत्र के विभिन्न अंगों यथा – मछली पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज उत्पादन, हस्तशिल्प, लाह उत्पादन इत्यादि के लिए कार्य किया जाता है। उक्त समितियों के द्वारा ग्रामीण स्तर पर कार्य किया जाता है, जिससे व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन किया जा सकता है।

अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 में विशेष प्रकार की सहकारी समिति को कार्यशील पूँजी, आधारभूत संरचना एवं मरम्मति योजना के लिए **1000.00 लाख (दस करोड़) रूपये** का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(ड़) <u>सौर उर्जा चलित मिनी कोल्ड रूम का निर्माण</u> :–

राज्य के छोटे कृषकों के लिए स्थानीय हाट/बाजारों में बिक्री हेतु जल्द क्षय होने वाले सब्जियों को सस्ते दर पर कम समय तक रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 में पूर्णतः सौर उर्जा से संचालित 05 (पाँच) एम0टी0 क्षमता के कुल 117 Eco-friendly Solar मिनी कोल्ड रूम का निर्माण किया जा रहा है, जो काफी लाभदायक साबित हो रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 60 यूनिट सौर उर्जा चलित मिनी कोल्ड रूम का निर्माण हेतु 1248.00 लाख (बारह करोड अड़तालिस लाख) रूपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(च) राज्य में कुल 4412 लैम्पस/पैक्स एवं 77 व्यापार मण्डल है जिसके विरूद्ध मात्र 1353 में ही 148550 एम०टी० की भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। वर्तमान में लैम्पस/पैक्स Multi Service Center के रूप में जमावृद्धि योजना, उर्वरक एवं बीज व्यवसाय, Common Service Center, PDS, धान अधिप्राप्ति का कार्य कर रहा है। क्षेत्र के किसानों के उपज यथा– फल–फूल एवं सब्जी भंडारण हेतु भी कोल्ड रूम संचालित कर रहा है। कृषि एवं उससे सम्बद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु सभी लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मण्डल में गोदाम के रूप आधारभूत संरचना निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है ताकि किसान लाभान्वित हो सके एवं उनकी आय में वृद्धि हो।

क्र०सं०	प्रस्तावित योजना	प्रति ईकाई लागत (लाख में)	कुल ईकाई	कुल लागत मूल्य (लाख में)
01.	**लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल में 100 एम0टी0 क्षमता के गोदाम निर्माण**	35.33	566	20000.00

(छ) प्रखंड स्तर पर निर्मित 30 MT कोल्डरूम का सोलर चलित कोल्ड रूम के रूप में परिवर्तन– राज्य के 97 प्रखण्डों में 30 MT क्षमता के कोल्डरूम का निर्माण किया गया है जो विद्युत चालित है। विद्युत/जेनरेटर पर निर्भरता के चलते उनके संचालन में कठिनाई हो रही है। अतएव उन्हें सोलर चलित कोल्ड रूम के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल मो0– 2000.00 लाख (बीस करोड़) रूपये मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

(ज)

क्र०सं०	प्रस्तावित योजना	प्रति ईकाई लागत (लाख में)	कुल ईकाई	कुल लागत मूल्य (लाख में)
01.	**लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल में 500 एम0टी0 क्षमता के गोदाम निर्माण**	68.25	146	10000.00

राज्य के किसानों को समय उर्वरक एवं बीज उपलब्ध कराने तथा अधिप्राप्ति किये गये धान के भंडारण हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में एक–एक 500 एम0टी0 क्षमता का गोदाम अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में राज्य में कुल 16 लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल में 500 एम0टी0 क्षमता को गोदाम उपलब्ध है जबकि विगत वर्षो में उर्वरक एवं बीज व्यवसाय तथा धान अधिप्राप्ति में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2021–22 में 80 लाख क्विटंल लक्ष्य के विरूद्ध 139321 किसानों से लगभग 75 लाख क्विटंल धान की अधिप्राप्ति हुई थी। राज्य के कई जिलों में राईस मिल नहीं रहने के कारण धान अधिप्राप्ति करने वाले लैम्पस/पैक्स/व्यापार मण्डल को दूसरे जिले के राईस मिल से Tagg करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में भण्डारण क्षमता की आवश्यता और अधिक प्रतीत होती है ताकि अधिक मात्रा में धान अधिप्राप्ति हो सके एवं उसका भंडारण किया जा सके। उक्त परिपेक्ष्य में प्रत्येक प्रखण्ड के नोडल लैम्पस/पैक्स एवं व्यापार मण्डल में 500 एम0टी0 क्षमता का गोदाम आवश्यक है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपर्युक्त योजना अन्तर्गत कुल 35300.00 लाख (तीन सौ तिरपन करोड़) रूपये मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

7. सिद्धो – कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि0 के लिए हिस्सापूंजी एवं कंस्लटेंसी सर्विसेज :–

कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों तथा वनोपज के व्यापार से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीणों को उनके द्वारा उत्पादित एवं संग्रहित उत्पादों का उचित पारिश्रमिक दिलवाने, उचित मूल्य दिलवाने, कृषि एवं वनोपज का उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण, अनुसंधान तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी आधार पर संगठित करने के उद्देश्य से सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 एवं जिला स्तरीय संघ लि0 का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि0 के लिए हिस्सापूंजी हेतु 4800.00 लाख (अड़तालीस करोड़) रूपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।

केन्द्र प्रायोजित योजना

(1) **पैक्स कम्प्यूटरीकरण :–**

वित्तीय वर्ष 2022–23 में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पैक्स का कम्प्यूटरीकरण" प्रारंभ की गयी है। इस योजना अन्तर्गत हार्डवेयर, डिजीटाईजेशन एवं सपोर्ट सिस्टम में होने वाले व्यय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 में पैक्स कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में मो0 1000.00 लाख (दस करोड़) रू0 मात्र एवं केन्द्रांश के रूप में 1500.00 लाख (पंद्रह करोड़) रू0 मात्र का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है।